न्यायालय, सिविल जज (सि0 डि0) प्रथम, पटना सिटी

Misc - 23/2024

06.06.2026 आवेदक की ओर से पैरवी नहीं है। वाद में पुकार कराया गया पुकार पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक की ओर से लंबे समय से हाजरी नहीं दी गई हैं। आवेदक की ओर से न तो हाजरी दी गयी है ओर न तो समया आवेदन ही दाखिल किया है। आवेदक को वाद में उचित पैरवी करने तथा वाद को संचालित करने हेतु पूर्व में लगातार अंतिम अवसर दिया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद के निस्पादन में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से हाजरी नहीं दिये जाने के कारण तथा वाद को संचालित नहीं किये जाने के कारण वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है कार्यालय लिपिक समय सीमा के अंदर अभिलेख अभिलेखागार में जमा करावें।

सिविल जज (सि0 डि0), प्रथम
व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी
06.06.2026